राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ 7 (311)/परि/नियम/मु0/09/32608 जयपुर, दिनांक : 30-4-09

कार्यालय आदेश 10/2009

विषय :– मोटर यानों में रिफलेक्टर एवं रिफलेक्टर टेप लगाने बाबत।

रात्री में होने वाली सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वाहन पर नियमानुसार रिफलेक्टर एवं रिफलेक्टिव टेप लगी हो। इसके अलावा प्रत्येक उंटगाडी, बैलगाडी एवं ट्रेक्टर–ट्रोली पर भी रिफलेक्टर्स लगे हों जिससे उपरोक्त प्रकार की गाडियों के रात्रि में संचालन होने पर ये दूर से ही दिखाई दे जायें एवं तेज गति से आने वाला अन्य वाहन का इनसे दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा ना हो।

उपरोक्त कारणों से होने वाली सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 104, का सख्ती से पालन किया जावे जिसके तहत रिफलेक्टर्स के संबंध में निम्न प्रावधान है :–

नियम 104 के अनुसार दिनांक 01.04.2006 तथा उसके पश्चात् निर्मित ट्रेलर्स सहित प्रत्येक मोटर वाहन (तिपहिया एवं दुपहिया वाहन को छोडते हुए) में पीछे की ओर दो लाल रंग के रिफलेकटर्स, (एक प्रत्येक साईड में) लगा होना आवश्यक है तथा प्रत्येक दुपहिया वाहन में पीछे की ओर एक लाल रंग का रिफलेक्टर लगा होना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रत्येक भार वाहन में सामने व पीछे की तरफ कम से कम 20 मिली मीटर चौडाई की लाल रंग की रिफलेक्टर टेप लगाना आवश्यक है। नियम 104 (5) में 6 मीटर से अधिक लम्बाई वाले वाहन की प्रत्येक साईड पर दो अतिरिक्त लाईट का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान चालक और अन्य सडक प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अतः सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये जाते हैं कि :–

(1) यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके क्षेत्राधिकार में उँटगाडियों, बैलगाडियों एवं ट्रेक्टर–ट्रोलियों के निर्माताओं को पाबन्द कर निर्माण स्थल पर ही उपरोक्त प्रकार की गाडियों में रिफलेक्टर लगवायें जावें। इस बाबत प्रवर्तन स्टाफ को समुचित निर्देश जारी करें।

(2) वाहन के चैसिस पर बॉडी–बिल्डिंग के कार्य में लगे निर्माताओं (विभाग द्वारा अधिकृत डीलर) द्वारा यदि नियमानुसार रिफलेक्टर्स/रिफलेक्टर्स टेप नहीं लगाये जा रहे हों तो उनके विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये।

(3) कार्यालय में फिटनेस हेतु एवं विभाग द्वारा अधिकृत निजी फिटनेस सेन्टर्स पर जांच हेतु एवं प्रवर्तन कार्य के दौरान निरीक्षण किये जाने वाले समस्त प्रकार के वाहनों पर नियमानुसार रिफलेक्टर एवं रिफलेक्टर टेप लगाया जाना सुनिश्चित करें। यातायात पुलिस से सम्पर्क कर रिफलेक्टर्स उपलब्ध कराने वाले वाणिज्यिक संस्थानों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रिफलेक्टर्स व टेप संबंधी सामग्री के लिए आपको विभाग द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।

रिफलेक्टर्स / रिफलेक्टर्स टेप के संबंध में जारी उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

कमांक एफ 7 (311)/परि/नियम/मु0/09/32609 जयपुर, दिनांक : 20/4/09

1. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.......................
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी.......................
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.......................
4. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त
(सडक सुरक्षा एवं प्रवर्तन)